



2026:AHC: 169940-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1786/1990

धर्मवीर

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: आर.सी. शुक्ला, विशाल अग्रवाल

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: डी.जी.ए.

सुरक्षित रखा गया :- 9 अप्रैल, 2026

पारित किया गया :- 13 अगस्त, 2026

अपलोड किया गया :- 14 अगस्त, 2026

न्यायालय संख्या- 48

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह

माननीय न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला

1. प्रस्तुत आपराधिक अपील विद्वान विशेष न्यायाधीश, बुलन्दशहर द्वारा सत्र विचारण संख्या 533 वर्ष 1987 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 09.08.1990 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को धारा 302 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया तथा आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया गया। अपील के लम्बित रहने के दौरान अपीलार्थी संख्या 2 रघुराज सिंह की मृत्यु हो गई तथा उसके सम्बन्ध में अपील आदेश दिनांक 13.02.2026 के द्वारा उपशमित हो गई। इस प्रकार, वर्तमान अपील अपीलार्थी संख्या 1 धर्मवीर सिंह (ए-1) तथा अपीलार्थी संख्या 3 राजेन्द्र सिंह (ए-3) के सम्बन्ध में विचारार्थ शेष रह गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



तथ्यात्मक विवरण:

2. अभियोजन कथानक, जैसा कि मृतक नेत्रपाल के भाई किशन पाल द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट में प्रकट हुआ है, यह है कि नेत्रपाल का विवाह घटना से लगभग दस वर्ष पूर्व भानु सिंह की पुत्री कुमिला के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात् नेत्रपाल अपनी बुआ के गाँव, ग्राम कमालपुर में निवास करने लगा तथा उक्त दाम्पत्य से तीन सन्तानें उत्पन्न हुईं। घटना से लगभग दो वर्ष पूर्व नेत्रपाल अपने मूल ग्राम नगलिया टक्कर, थाना पहासू, जनपद बुलन्दशहर वापस आ गया, जबकि उसकी पत्नी कुमिला तथा बच्चे ग्राम कमालपुर में ही निवास करते रहे। प्रथम सूचनाकर्ता के अनुसार, नेत्रपाल के अपने गाँव लौट आने के कारण कुमिला के भाई तथा अन्य परिवारजन अप्रसन्न थे तथा उन्होंने दो-चार अवसरों पर उसे गम्भीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

3. दिनांक 04.12.1986 को प्रातः लगभग 10:30 बजे प्रथम सूचनाकर्ता किशन पाल तथा उसका भाई नेत्रपाल अपने कृषि खेत में अरहर (पिजिन- पी) की फसल हटा रहे थे। उस समय नेत्रपाल का नौकर रामजी लाल उसी खेत में उपस्थित था, जबकि ज्ञान सिंह संलग्न खेत में हल चला रहा था। प्रातः लगभग 10:30 बजे अभियुक्तगण जगपाल, धर्मवीर, रघुराज, करन पाल, राजेन्द्र सिंह, कुँवर पाल, रूरी सिंह तथा राजवीर खेतों की ओर से आए, उन्हें चारों ओर से घेर लिया तथा ललकारते हुए उनकी ओर बढ़े। धर्मवीर, राजेन्द्र सिंह तथा रघुराज सिंह कथित रूप से बन्दूकों से सुसज्जित थे, जगपाल गड़ासा लिए हुए था, रूरी सिंह तमंचे से सुसज्जित था, जबकि शेष अभियुक्तगण लाठियाँ लिए हुए थे। रूरी सिंह तथा धर्मवीर ने नेत्रपाल को धमकी दी कि वे उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे तथा बदला लेंगे। प्रथम सूचनाकर्ता को भी हट जाने की धमकी दी गई, अन्यथा उसे भी मार दिए जाने की बात कही गई। तत्पश्चात् धर्मवीर, राजेन्द्र सिंह तथा रघुराज सिंह ने कथित रूप से नेत्रपाल पर फायर किया। आग्नेयास्त्र की चोटें आने पर नेत्रपाल भूमि पर गिर पड़ा। शोर सुनकर रामपाल, ज्ञान सिंह तथा रामजी लाल घटनास्थल के निकट पहुँचे। इसी बीच अभियुक्त जगपाल ने कथित रूप से गड़ासे से नेत्रपाल के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया, जिसके पश्चात् अभियुक्तगण कटा हुआ सिर लेकर नहर की ओर चले गए तथा मृतक का धड़ खेत में ही छोड़ गए। तत्पश्चात् मृतक के परिवारजन तथा अन्य सहग्रामवासी घटनास्थल पर एकत्र हो गए।

4. उपर्युक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर विधि को गतिमान किया गया तथा मुकदमा अपराध संख्या 395 वर्ष 1986, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302 तथा 201 सहपठित धारा 34

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



भारतीय दण्ड संहिता, दिनांक 04.12.1986 को अपराहन लगभग 2:00 बजे पंजीकृत किया गया। तत्सम्बन्धी प्रविष्टि सामान्य दैनिकी में की गई तथा विवेचना विवेचनाधिकारी को सौंपी गई।

5. विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा सामान्य दैनिकी की प्रविष्टि की नकल केस डायरी में किया, प्रथम सूचनाकर्ता का बयान अंकित किया तथा घटनास्थल पर गया। उसने नक्शा नजरी तैयार किया तथा पंचायतनामा की कार्यवाही सम्पन्न करने के पश्चात् पंचायतनामा एवं अन्य आवश्यक पुलिस प्रपत्र तैयार किए। तत्पश्चात् शव को सिलकर, सील करके पुलिस कर्मियों के माध्यम से पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया।

6. विवेचनाधिकारी ने घटनास्थल से 12 बोर का एक खोखा कारतूस बरामद किया तथा उसकी बरामदगी फर्द तैयार किया। उसने तीन भिन्न-भिन्न स्थानों, अर्थात् शव के निकट से, टीकम सिंह के खेत से तथा बाबू सिंह के खेत से रक्तरंजित एवं सादी मिट्टी भी एकत्र किया, उसे पृथक्-पृथक् सील किया तथा तत्सम्बन्धी बरामदगी फर्द तैयार किए। बरामदशुदा वस्तुएँ तत्पश्चात् परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गईं। विवेचना के दौरान अन्य साक्षियों के बयान अंकित किए गए, अभियुक्त कुँवर पाल को गिरफ्तार किया गया, पोस्टमार्टम आख्या तथा एफ.एस.एल. आख्या प्राप्त की गई तथा विवेचना पूर्ण होने पर समस्त आठों अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

7. आरोप पत्र प्रेषित किए जाने के पश्चात् क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के प्रावधानों के अनुपालन में अभियुक्तगण को पुलिस प्रपत्रों की प्रतियाँ उपलब्ध कराने के पश्चात्, विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रकरण को अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय पाते हुए प्रकरण को सत्र न्यायालय, बुलन्दशहर को सुपुर्द कर दिया, जहाँ यह सत्र विचारण संख्या 533 वर्ष 1987 के रूप में पंजीकृत हुआ। अभियुक्त धर्मवीर, राजेन्द्र सिंह, रघुराज, करन पाल तथा रूरी सिंह के विरुद्ध धारा 148, 302/149 तथा 201/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किए गए, जबकि अभियुक्त कुँवर पाल तथा राजवीर के विरुद्ध धारा 147, 302/149 तथा 201/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किए गए। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की माँग किया।

अभियोजन साक्ष्य:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. अभियुक्तगण का दोष प्रमाणित करने हेतु अभियोजन द्वारा निम्नलिखित साक्षियों का परीक्षण कराया गया:

पी.डब्ल्यू. -1	किशन पाल (प्रथम सूचनाकर्ता तथा मृतक का भाई)
पी.डब्ल्यू. -2	ज्ञान सिंह (चक्षुदर्शी साक्षी)
पी.डब्ल्यू. -3	डॉ. एस. भटनागर
पी.डब्ल्यू. -4	आरक्षी रामवीर सिंह (वह पुलिस आरक्षी जो शव को पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु ले गया)
पी.डब्ल्यू. -5	मुख्य आरक्षी बिककन सिंह (चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा सामान्य दैनिकी प्रविष्टि के लेखक)
पी.डब्ल्यू. -6	उप निरीक्षक राजाराम (विवेचनाधिकारी)

9. उपर्युक्त मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त, अभियोजन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित किए गए:

प्रदर्श क-1	लिखित रिपोर्ट
प्रदर्श क-2	पोस्टमार्टम आख्या
प्रदर्श क-3	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट
प्रदर्श क-4	सामान्य दैनिकी प्रविष्टि
प्रदर्श क-5	पंचायतनामा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रदर्श क-6	आर.आई. को पत्र
प्रदर्श क-7	मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र
प्रदर्श क-8	फोटो लैश
प्रदर्श क-9	चालान लैश
प्रदर्श क-10	खोखा कारतूस की बरामदगी फर्द
प्रदर्श क-11, 13, 14	रक्तरंजित एवं सादी मिट्टी की बरामदगी फर्द
प्रदर्श क-12	नक्शा नजरी
प्रदर्श क-15	गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को निरुद्ध किए जाने सम्बन्धी सामान्य दैनिकी प्रविष्टि
प्रदर्श क-16	आरोप पत्र 'मूल'

10. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्तगण के बयान धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अंकित किए गए, जिनमें उन्होंने अभियोजन के अभिकथनों तथा उनके विरुद्ध प्रकट होने वाली दोषारोपक परिस्थितियों से इन्कार किया तथा यह कथन किया कि उन्हें पूर्व रंजित के कारण झूठा फँसाया गया है। बचाव में अभियुक्तगण ने डी.डब्ल्यू. -1 गिरीश चन्द्र गुप्ता का परीक्षण कराया।

11. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के मूल्यांकन तथा पक्षकारों को सुनने के पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त राजवीर, करन पाल, कुँवर पाल तथा रूरी सिंह को धारा 147, 148, 302 सहपठित धारा 149 तथा 201 सहपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों से दोषमुक्त कर दिया। शेष अभियुक्तगण को निर्णय एवं आदेश दिनांक 09.08.1990 द्वारा दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया, जिससे प्रस्तुत अपील उद्भूत हुई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. उपर्युक्त दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने प्रस्तुत आपराधिक अपील, अन्य बातों के साथ-साथ, इन आधारों पर प्रस्तुत की है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के भार के प्रतिकूल है तथा अधिरोपित दण्ड अत्यधिक है।

13. अपीलार्थी संख्या 1 एवं 3 की ओर से क्रमशः उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण श्री कुलदीप कुमार सहित श्री अनुराग वाजपेयी तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र तिवारी को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अभियोजन साक्ष्य

14. पी.डब्ल्यू. -1 किशन पाल, प्रथम सूचनाकर्ता तथा मृतक के भाई ने शपथ पर कथन किया कि घटना से लगभग दस वर्ष पूर्व उसका भाई नेत्रपाल भानु सिंह की पुत्री कुमिला को भगा ले गया था तथा तत्पश्चात् अपनी बुआ के गाँव कमालपुर में उसके साथ निवास करने लगा था। उनके दाम्पत्य से दो पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न हुए। घटना से लगभग तीन माह पूर्व नेत्रपाल अपने गाँव वापस आ गया तथा कृषि कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया, जबकि उसकी पत्नी कुमिला तथा बच्चे कमालपुर में ही निवास करते रहे।

15. पी.डब्ल्यू. -1 ने आगे कथन किया कि नेत्रपाल के अपने गाँव लौट आने के कारण कुमिला के भाई, अर्थात् धर्मवीर, राजेन्द्र, रघुराज तथा जगपाल अप्रसन्न हो गए तथा उसे जान से मारने की धमकियाँ दीं। साक्षी के अनुसार, घटना उसके बयान से लगभग एक वर्ष तीन माह पूर्व प्रातः लगभग 10:30 बजे घटित हुई थी। उस समय वह तथा नेत्रपाल अपने कृषि खेत में अरहर की फसल के सम्बन्ध में कार्य कर रहे थे। नेत्रपाल का नौकर रामजी लाल उसी खेत में हल चला रहा था, जबकि ज्ञान सिंह संलग्न खेत में हल चला रहा था।

16. उसने आगे कथन किया कि धर्मवीर, राजेन्द्र, रघुराज, कुँवर पाल, करन पाल तथा राजवीर सहित आठ अभियुक्तगण गन्ने के खेत की ओर से आए। उनमें से तीन बन्दूकों से, एक तमंचे से, एक गड़ासे से सुसज्जित था तथा शेष अभियुक्तगण लाठियाँ लिए हुए थे। पी.डब्ल्यू. -1 के अनुसार, अभियुक्तगण ने यह घोषणा की कि वे बदला लेंगे। रघुराज तथा धर्मवीर ने उससे हट जाने को कहा क्योंकि वे नेत्रपाल को मारना चाहते थे, जिसके पश्चात् नेत्रपाल पर आग्नेयास्त्र से

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



फायर किए गए, जिसके परिणामस्वरूप वह भूमि पर गिर पड़ा। तत्पश्चात् जगपाल ने कथित रूप से गड़ासे से नेत्रपाल का सिर काट दिया तथा अभियुक्तगण कटा हुआ सिर अपने साथ लेकर नहर की ओर चले गए। पी.डब्ल्यू. -1 ने आगे कथन किया कि लिखित रिपोर्ट उसके बताए अनुसार ज्ञान सिंह द्वारा लिखी गई तथा उसे पढ़कर सुनाए जाने के पश्चात् उसने उस पर हस्ताक्षर किए। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श क-1 के रूप में प्रमाणित की गई। उसने यह भी कथन किया कि रामजी लाल, ज्ञान सिंह तथा अन्य व्यक्ति घटना के समय उपस्थित थे तथा उन्होंने घटना को देखा था।

17. पी.डब्ल्यू. -2 ज्ञान सिंह ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया तथा घटनास्थल के निकट अपनी उपस्थिति का दावा किया। उसने कथन किया कि वह संलग्न खेत में हल चला रहा था, जबकि किशन पाल तथा नेत्रपाल अपने खेत में अरहर की फसल के सम्बन्ध में कार्य कर रहे थे।

18. अपनी प्रतिपरीक्षा में पी.डब्ल्यू. -2 ने कथन किया कि अभियुक्तगण ने मृतक पर लगभग 20-25 फीट की दूरी से फायर किया। उसने आगे कथन किया कि बन्दूकों तथा तमंचे से सुसज्जित हमलावरों ने नेत्रपाल पर फायर किया। उस समय नेत्रपाल कृषि कार्य में संलग्न था, जबकि किशन पाल उसे 'चौड़ा' नामक कृषि उपकरण पकड़ाकर उसकी सहायता कर रहा था। किशन पाल तथा नेत्रपाल के मध्य की दूरी लगभग 10-12 कदम बताई गई।

19. पी.डब्ल्यू. -3 डॉ. एस. भटनागर ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया तथा पोस्टमार्टम आख्या को प्रदर्श क-2 के रूप में प्रमाणित किया। उसने उन मृत्यु-पूर्व चोटों को अभिलिखित किया जिनका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है।

20. पी.डब्ल्यू. -4 आरक्षी रामवीर सिंह ने कथन किया कि वह शव को सीलबन्द दशा में घटनास्थल से पंचायतनामा तथा अन्य सुसंगत पुलिस प्रपत्रों सहित शवगृह ले गया। उसने कथन किया कि शव उसकी सुरक्षित अभिरक्षा में रहा तथा पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु शवगृह में जमा कराया गया।

21. पी.डब्ल्यू. -5 मुख्य आरक्षी बिक्कन सिंह त्यागी, जो थाना शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर में हेड मोहर्रिर के पद पर तैनात थे, ने कथन किया कि दिनांक 04.12.1986 को थाने पर प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के आधार पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई तथा तत्सम्बन्धी सामान्य दैनिकी प्रविष्टि रपट संख्या 29 पर 14:00 बजे की गई। उसने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा सामान्य दैनिकी प्रविष्टि को क्रमशः प्रदर्श क-3 तथा प्रदर्श क-4 के रूप में प्रमाणित किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



22. पी.डब्ल्यू. -6 उप निरीक्षक राजाराम सुमन, प्रकरण के विवेचनाधिकारी ने विवेचना के दौरान उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के सम्बन्ध में कथन किया। उन्होंने कथन किया कि मुकदमा पंजीकृत होने के पश्चात् उन्होंने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, सामान्य दैनिकी प्रविष्टि तथा लिखित रिपोर्ट की नकल केस डायरी में की तथा विवेचना आगे बढ़ाई।

23. उन्होंने अपने हस्तलेख एवं हस्ताक्षर से तैयार किए गए पंचायतनामा को प्रदर्श क-5 के रूप में; रिजर्व इंस्पेक्टर को सम्बोधित पत्र को प्रदर्श क-6 के रूप में; मुख्य चिकित्साधिकारी को सम्बोधित पत्र को प्रदर्श क-7 के रूप में; फोटो लाश को प्रदर्श क-8 के रूप में; चालान लाश को प्रदर्श क-9 के रूप में; खोखा कारतूस की बरामदगी फर्द को प्रदर्श क-10 के रूप में; तथा रक्तंजित एवं सादी मिट्टी से सम्बन्धित बरामदगी फर्द को प्रदर्श क-11 के रूप में प्रमाणित किया। उन्होंने तत्सम्बन्धी भौतिक प्रदर्शों, जिनमें खोखा कारतूस तथा रक्तंजित एवं सादी मिट्टी के नमूने सम्मिलित हैं, के साथ-साथ नक्शा नजरी को प्रदर्श क-12 के रूप में भी प्रमाणित किया।

24. विवेचनाधिकारी ने उस स्थान से एकत्र की गई रक्तंजित एवं सादी मिट्टी से सम्बन्धित फर्द को, जहाँ मृतक का कटा हुआ सिर/गर्दन कथित रूप से पाया गया अथवा गिराया गया था, प्रदर्श क-13 के रूप में तत्सम्बन्धी भौतिक प्रदर्शों सहित प्रमाणित किया। उन्होंने बाबू सिंह के खेत से, जो कथित रूप से वह स्थान था जहाँ मृतक का कटा हुआ सिर/गर्दन कुछ समय के लिए रखा अथवा गिराया गया था, एकत्र की गई रक्तंजित एवं सादी मिट्टी से सम्बन्धित एक अन्य बरामदगी फर्द को भी प्रदर्श क-14 के रूप में तत्सम्बन्धी भौतिक प्रदर्शों सहित प्रमाणित किया।

25. उन्होंने आगे कथन किया कि अभियुक्त कुँवर पाल को गिरफ्तार कर हवालात में निरुद्ध किया गया तथा तत्सम्बन्धी सामान्य दैनिकी प्रविष्टि, जो दिनांक 05.12.1986 को 18:15 बजे रपट संख्या 46 पर की गई थी, प्रदर्श क-15 के रूप में प्रमाणित की गई।

26. विवेचनाधिकारी ने यह भी कथन किया कि शेष अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने के प्रयास किए गए तथा उनके विरुद्ध धारा 82 एवं 83 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तथापि, ऐसे प्रयासों के बावजूद शेष अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। विवेचना पूर्ण होने पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा उसे प्रदर्श क-16 के रूप में प्रमाणित किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



बचाव साक्ष्य

27. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्तगण के बयान धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अंकित किए गए, जिनमें उन्होंने अभियोजन कथानक से इन्कार किया, झूठे फँसाए जाने का दावा किया तथा कथन किया कि अभियोजन साक्षियों ने पूर्व रंजिश के कारण उनके विरुद्ध बयान दिए हैं।

28. **अपीलार्थी धर्मवीर सिंह** ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कथन किया कि मृतक नेत्रपाल उसकी बहन कुमिला को उसके ससुराल से ले गया था तथा तत्पश्चात् कमालपुर में निवास करने लगा था। उसके बचाव के अनुसार, कुमिला के धीरज नामक एक व्यक्ति के साथ अवैध सम्बन्ध हो गए थे तथा उक्त सम्बन्ध से तीन सन्तानें उत्पन्न हुईं। यह भी कथन किया गया कि नेत्रपाल तत्पश्चात् बच्चों को कमालपुर से ले गया, जिसके कारण नेत्रपाल तथा धीरज के मध्य वैमनस्यपूर्ण सम्बन्ध उत्पन्न हो गए।

29. **अपीलार्थी संख्या 3** ने कथन किया है कि वह कुँवरपाल का पुत्र तथा रघुराज का चचेरा भाई है।

30. **मृतक अपीलार्थी रघुराज सिंह** ने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपने बयान में वर्ष 1969 की एक पूर्ववर्ती घटना का उल्लेख किया जिसमें सम्बन्धित परिवारों के सदस्य सम्मिलित थे तथा कथन किया कि उससे धारा 323 एवं 324 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आपराधिक कार्यवाहियाँ उद्भूत हुई थीं। उसके अनुसार, किशन पाल के चाचा चोखा सिंह तथा बाबू सिंह उसके पक्ष के विरुद्ध साक्षी के रूप में उपस्थित हुए थे।

31. उसने आगे कथन किया कि वर्ष 1969 में कुँवर पाल ने राम सिंह के विरुद्ध बयान दिया था तथा तब से पक्षकारों के मध्य वैमनस्यपूर्ण सम्बन्ध विद्यमान रहे हैं। उसने भानु सिंह के परिवार से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध होने से भी इन्कार किया।

32. बचाव में **डी.डब्ल्यू. -1 गिरीश चन्द्र गुप्ता** का परीक्षण कराया गया। उसने अभियुक्त राजवीर सिंह की अन्यत्रता का अभिवाक् सिद्ध करने का प्रयास करते हुए कथन किया कि राजवीर उसका कर्मचारी था तथा घटना की तिथि एवं सुसंगत समय पर अपने कार्यस्थल पर उपस्थित था। उसके समर्थन में उसने सुसंगत उपस्थिति पंजिका (मस्टर रोल) प्रस्तुत/प्रमाणित की।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अपीलार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत तर्क:

33. अपीलार्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय को कई आधारों पर चुनौती देते हुए लिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना कथित रूप से दिनांक 04.12.1986 को प्रातः लगभग 10:30 बजे घटित हुई, जबकि लिखित रिपोर्ट, प्रदर्शक-1, मृतक नेत्रपाल के भाई किशन पाल (पी.डब्ल्यू. -1) द्वारा थाना शिकारपुर पर उसी दिन अपराह्न लगभग 2:00 बजे दर्ज कराई गई। अभियोजन कथानक के अनुसार, मृतक नेत्रपाल का विवाह घटना से लगभग दस वर्ष पूर्व भानु सिंह की पुत्री कुमिला से हुआ था तथा तत्पश्चात् वह उसके साथ अपनी बुआ के गाँव, ग्राम कमालपुर में निवास करने लगा था। घटना से लगभग दो वर्ष पूर्व नेत्रपाल अपने मूल गाँव वापस आ गया तथा वहाँ निवास करने लगा, जबकि उसकी पत्नी एवं बच्चे कमालपुर में ही निवास करते रहे। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन ने कथित हेतुक नेत्रपाल के अपने मूल गाँव लौट आने के कारण कुमिला के सम्बन्धियों की अप्रसन्नता को बताया है।

34. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन के कथन के अनुसार, घटना की तिथि पर प्रथम सूचनाकर्ता तथा मृतक अपने कृषि खेत में कार्य कर रहे थे, जब अपीलार्थीगण सहित अभियुक्तगण वहाँ पहुँचे, उन्हें घेर लिया तथा नेत्रपाल की हत्या कारित की। यह अभिकथित है कि मृतक पर आग्नेयास्त्र से गोली चलाए गए, जिसके परिणामस्वरूप उसे चोटें आईं तथा वह भूमि पर गिर पड़ा, जिसके पश्चात् सह-अभियुक्त जगपाल ने कथित रूप से गड़ासे से उसका सिर काट दिया। तत्पश्चात् अभियुक्तगण कटा हुआ सिर लेकर नहर की ओर चले गए बताए जाते हैं।

35. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि पी.डब्ल्यू. -1 तथा पी.डब्ल्यू. -2 मृतक के चचेरे भाई हैं तथा इसलिए हितबद्ध साक्षी हैं। यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि अभियोजन तीन चक्षुदर्शी साक्षियों, अर्थात् प्रथम सूचनाकर्ता, ज्ञान सिंह तथा रामजी लाल की उपस्थिति का दावा करता है, तथापि उनमें से किसी ने भी हस्तक्षेप करने अथवा मृतक को हमलावरों से बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, जिससे, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति सन्देहास्पद हो जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



36. विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथन के अनुसार तीन अभियुक्तगण ने मृतक नेत्रपाल पर फायर किया, जबकि घटनास्थल से केवल एक 12 बोर का खोखा कारतूस बरामद किया गया। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि शव परीक्षण के दौरान चिकित्सक ने मृतक के शरीर पर आग्नेयास्त्र की चोटें पाईं तथा पी.डब्ल्यू. -3 के साक्ष्य के अनुसार, चोट संख्या 2 एवं 3 एक ही आग्नेयास्त्र के प्रहार से कारित हो सकती थीं।

37. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चिकित्सीय साक्ष्य निकट सीमा से फायर किए जाने का संकेत देता है, जबकि पी.डब्ल्यू. -1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में हमलावरों तथा मृतक के मध्य की दूरी लगभग 20-25 कदम बताई, जबकि पी.डब्ल्यू. -2 ने कथन किया कि अभियुक्तगण मृतक से लगभग 20-25 फीट की दूरी पर थे। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, आग्नेयास्त्र की चोट के चारों ओर कालिमा की उपस्थिति चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा बताई गई उपर्युक्त दूरी के साथ असंगत है। अतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चिकित्सीय साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी कथन का तात्त्विक रूप से खण्डन करता है तथा चक्षुदर्शी साक्षियों की उपस्थिति एवं विश्वसनीयता के सम्बन्ध में गम्भीर सन्देह उत्पन्न करता है।

38. उपर्युक्त तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने **महावीर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2016) 10 एस.सी.सी. 220** पर अवलम्ब लिया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर 22 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"22. उन प्रकरणों में विधि की स्थिति, जहाँ चिकित्सीय साक्ष्य तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के मध्य विरोधाभास हो, इस आशय से स्पष्ट की जा सकती है कि यद्यपि किसी साक्षी के प्रत्यक्षदर्शी कथन का चिकित्सीय साक्ष्य की तुलना में अधिक साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, तथापि जब चिकित्सीय साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी कथन को असम्भाव्य बना देता है, तो वह साक्ष्य के मूल्यांकन की प्रक्रिया में एक सुसंगत कारक बन जाता है। तथापि, जहाँ चिकित्सीय साक्ष्य इस सीमा तक चला जाता है कि वह प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के सत्य होने की समस्त सम्भावना को पूर्णतः अपवर्जित कर देता है, वहाँ प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सकता है।"

39. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि घटनास्थल पर अथवा उसके निकट कथित रूप से स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध थे, तथापि अभियोजन ने केवल मृतक से सम्बन्धित साक्षियों का ही परीक्षण कराया। **राजू उर्फ बालचन्द्रन एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, (2012) 12 एस.सी.सी.**

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



701 पर अवलम्ब लिया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर 29 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

*"29. सार एवं तत्त्व यह है कि किसी सम्बन्धित अथवा हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य का सूक्ष्मता एवं सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना चाहिए। ऐसे प्रकरण में जहाँ सम्बन्धित एवं हितबद्ध साक्षी की हमलावर के साथ कोई शत्रुता हो सकती हो, वहाँ मानदण्ड को और ऊँचा करना होगा तथा साक्षी के साक्ष्य का विवेचनपूर्ण संवीक्षा के मानक को लागू करते हुए परीक्षण करना होगा। तथापि, यह केवल विवेक का नियम है, विधि का नहीं, जैसा कि **दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (1953) 2 एस.सी.सी. 36** में अभिनिर्धारित किया गया तथा **सरवन सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (1976) 4 एस.सी.सी. 369** में निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में दोहराया गया:*

"10. ... किसी हितबद्ध साक्षी का साक्ष्य स्वतः किसी दोष से ग्रस्त नहीं होता, किन्तु न्यायालय विवेक के नियम के रूप में, न कि विधि के नियम के रूप में, यह अपेक्षा करते हैं कि ऐसे साक्षियों के साक्ष्य की थोड़ी सावधानी से संवीक्षा की जानी चाहिए। एक बार जब वह दृष्टिकोण अपना लिया जाता है तथा न्यायालय यह समाधान कर लेता है कि हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य में सत्य की झंकार है, तो ऐसे साक्ष्य पर संपुष्टि के बिना भी अवलम्ब लिया जा सकता है।"

40. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि फायर करने की सामान्य भूमिका अभियुक्त अपीलार्थी राजेन्द्र, रघुराज, रूरी तथा धर्मवीर को सौंपी गई है तथा अपीलार्थी संख्या 1 को कोई विशिष्ट भूमिका आरोपित नहीं की गई है, जबकि उसी एवं समरूप साक्ष्य के आधार पर सह-अभियुक्त रूरी सिंह को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है, अतः वर्तमान अपीलार्थी संख्या 1 धर्मवीर भी दोषमुक्ति की समता का हकदार है।

41. उपर्युक्त तर्क के समर्थन में **जावेद शौकत अली कुरैशी बनाम गुजरात राज्य, (2023) 9 एस.सी.सी. 164** पर अवलम्ब लिया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर संख्या 15 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"15. जब दो अभियुक्तों के विरुद्ध चक्षुदर्शी साक्षियों का समरूप अथवा एकसमान साक्ष्य हो तथा उन्हें समान अथवा समरूप भूमिका आरोपित की गई हो, तो न्यायालय एक अभियुक्त को दोषसिद्ध तथा दूसरे को दोषमुक्त नहीं कर सकता। ऐसे प्रकरण में दोनों अभियुक्तों के प्रकरण समता के सिद्धान्त द्वारा शासित होंगे। इस सिद्धान्त का आशय यह है कि आपराधिक न्यायालय को समान प्रकरणों का निर्णय समान

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रूप से करना चाहिए तथा ऐसे प्रकरणों में न्यायालय दोनों अभियुक्तों के मध्य कोई विभेद नहीं कर सकता, जो विभेदकारी होगा।"

42. यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना से लगभग पन्द्रह वर्ष पूर्व कुमिला का विवाह ग्राम हरकौली निवासी राज कुमार सिंह नामक व्यक्ति से हुआ था, किन्तु नेत्रपाल कथित रूप से उसे उसके ससुराल से बहला-फुसलाकर ले गया तथा तत्पश्चात् ग्राम कमालपुर में उसके साथ निवास करने लगा। बचाव पक्ष द्वारा यह भी अभिकथित है कि धीरज नामक एक व्यक्ति, जो वहीं निवास कर रहा था, के कुमिला के साथ अवैध सम्बन्ध हो गए तथा उक्त सम्बन्ध से सन्तानें उत्पन्न हुईं। बचाव पक्ष के अनुसार, तत्पश्चात् धीरज एवं नेत्रपाल के मध्य बच्चों की अभिरक्षा के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हुआ तथा फलस्वरूप धीरज के पास भी नेत्रपाल को क्षति पहुँचाने का हेतुक था।

43. विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **असलम उर्फ इमरान बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 670** के प्रस्तर 22 पर अवलम्ब लिया है। निर्णय का प्रस्तर 22 नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

"22. यह सुस्थापित विधि है कि शत्रुता एक दुधारी तलवार है। एक ओर यह हेतुक प्रदान करती है, दूसरी ओर यह झूठे फँसाए जाने की सम्भावना को भी अपवर्जित नहीं करती। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य की प्रकृति से, पूर्व शत्रुता के कारण वर्तमान अपीलार्थी के झूठे फँसाए जाने की सम्भावना को अपवर्जित नहीं किया जा सकता। अतः हमारे मत में, अपीलार्थी सन्देह के लाभ का हकदार है।"

44. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आठ व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में नामित किया गया तथा उन्हें विशिष्ट आयुध अभिकथित किए गए। तीन अभियुक्त बन्दूकों से, एक अभियुक्त गड़ासे से, एक तमंचे से तथा शेष अभियुक्त लाठियों से सुसज्जित बताए गए। तथापि, विवेचना के दौरान न तो कोई बन्दूक, न तमंचा और न ही कोई लाठी बरामद की गई।

45. इस सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णय **श्रीमती इन्द्रावती देवी बनाम उ.प्र. राज्य, 2026 (134) ए.एच.सी. 865 इलाहाबाद** के प्रस्तर 48 एवं 49 पर अवलम्ब लिया है। उस निर्णय के प्रस्तर 48 एवं 49 नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:

"48. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दयाल सिंह एवं अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य में एक जघन्य अपराध से सम्बन्धित प्रकरण में समुचित विवेचना करने में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विवेचनाधिकारी की विफलता के सम्बन्ध में उसकी ओर से हुई त्रुटियों का संज्ञान लेते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए थे: "(47.5) हम अभिनिर्धारित, घोषित एवं निर्देशित करते हैं कि यह अधिकारिता का समुचित प्रयोग होगा तथा न्यायसंगत एवं निष्पक्ष विवेचना एवं विचारण को सुनिश्चित करेगा कि न्यायालय ऐसे प्रकरणों में, कारण अभिलिखित करते हुए, विवेचना के दौरान विवेचक अभिकरण, विशेषज्ञ साक्षियों तथा अभियोजन द्वारा उद्धृत साक्षियों द्वारा कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा, सोच-समझकर दोषपूर्ण विवेचना, अभियोजन के प्रकरण के प्रतिकूल लोप एवं कार्य के आशयित कृत्यों, व्यावसायिक मानकों एवं विधि की विवेचनात्मक अपेक्षाओं के उल्लंघन के सम्बन्ध में विशिष्ट निष्कर्ष अभिलिखित करें। इसके अतिरिक्त, न्यायालय अनुशासनिक प्राधिकारियों को विधि के अनुसार समुचित अनुशासनिक अथवा अन्य कार्यवाही करने का निर्देश देने में पूर्णतः न्यायोचित होंगे, चाहे ऐसा अधिकारी, विशेषज्ञ अथवा कर्मचारी साक्षी सेवा में हो अथवा तत्पश्चात् सेवानिवृत्त हो चुका हो।

49. वर्तमान जैसी हत्या वस्तुतः एक निन्दनीय कृत्य है तथा प्रत्येक अपराधी को दण्डित किया जाना चाहिए, किन्तु द्वितीय विवेचनाधिकारी ने कथित रूप से बरामद पिस्तौल सहित चार जीवित कारतूस, घटनास्थल से बरामद एक खोखा कारतूस एवं एक जीवित कारतूस तथा मृतक के शव से बरामद दो गोलियों को एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु न भेजकर प्रथम दृष्टया जानबूझकर स्वयं को कदाचार का दोषी बनाया है। द्वितीय विवेचनाधिकारी अपने द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की शिनाख्त सुनिश्चित करने में भी विफल रहा है। अतः हमारे मत में, द्वितीय विवेचनाधिकारी द्वारा कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा तथा सोच-समझकर दोषपूर्ण विवेचना की गई है। तृतीय विवेचनाधिकारी, जिसने अभियुक्त नीलकमल एवं प्रमोद पटेल के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया, भी उपर्युक्त बरामदशुदा पिस्तौल एवं कारतूसों को परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. भेज सकता था तथा अपने द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की शिनाख्त सूचनाकर्ता-अपीलार्थी एवं उसके साक्षियों से करा सकता था, किन्तु वह भी ऐसा करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप विवेचना दोषपूर्ण हुई। द्वितीय एवं तृतीय दोनों विवेचनाधिकारी उ.प्र. पुलिस विनियमावली के नियम 107 एवं 116 सहपठित उ.प्र. पुलिस अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत प्रतिष्ठापित अपने सांविधिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं।"

46. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि पी.डब्ल्यू. -1 की प्रतिपरीक्षा में यह तथ्य आया है कि नेत्रपाल की मृत्यु के पश्चात् कुमिला लगभग एक वर्ष तीन माह से धीरज के साथ निवास कर रही थी, जो बचाव पक्ष के अनुसार, अभियुक्तगण द्वारा धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपने बयानों में दिए गए स्पष्टीकरण का समर्थन करता है।

47. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि न तो अपीलार्थी संख्या 1 और न ही उसके परिवार के किसी सदस्य के पास किसी बन्दूक का लाइसेंस था तथा विवेचना के दौरान अपीलार्थी संख्या 1

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



से कोई आग्नेयास्त्र बरामद नहीं किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने विवेचनाधिकारी के इस कथन पर भी अवलम्ब लिया है कि दिनांक 05.12.1986 को पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् उसने गाँव में साक्षियों की तलाश की, किन्तु वे वहाँ नहीं मिले। इसके आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पी.डब्ल्यू. -2 का चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में बाद में प्रकट होना सन्देहास्पद हो जाता है।

48. उपर्युक्त विसंगतियों के आधार पर, अपीलार्थी संख्या 1 के सम्बन्ध में निर्णय एवं आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

अपीलार्थी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत तर्क:

49. अपीलार्थी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय को, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर चुनौती दी है कि अभियोजन कथित अपराध के कारित किए जाने में सहभागिता हेतु अपीलार्थी संख्या 3 राजेन्द्र सिंह की ओर से कोई हेतुक स्थापित करने में विफल रहा है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन कथानक के अनुसार मृतक नेत्रपाल घटना से लगभग दस वर्ष पूर्व भानु सिंह की पुत्री कुमिला के साथ भाग गया था तथा तत्पश्चात् उसके साथ निवास करने लगा था। अभियोजन ने उक्त सम्बन्ध तथा नेत्रपाल के परवर्ती आचरण के कारण कुमिला के परिवारजनों की अप्रसन्नता को हेतुक के रूप में आरोपित करने का प्रयास किया है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी संख्या 3 राजेन्द्र सिंह कुमिला के निकट परिवार का सदस्य नहीं था तथा इसलिए मृतक पर कथित प्रहार में अन्य अभियुक्तगण के साथ सम्मिलित होने हेतु उसे कोई स्वतंत्र अथवा विश्वासोत्पादक हेतुक आरोपित नहीं किया गया है।

50. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि पी.डब्ल्यू. -1 किशन पाल, प्रथम सूचनाकर्ता तथा पी.डब्ल्यू. -2 ज्ञान सिंह के साक्ष्य में तात्त्विक विसंगतियाँ एवं असंगतियाँ हैं, जो बचाव पक्ष के अनुसार, उनकी उपस्थिति तथा उनके प्रत्यक्षदर्शी विवरण की यथार्थता को सन्देहास्पद बना देती हैं। विशेष बल प्रत्यक्षदर्शी कथन तथा चिकित्सीय साक्ष्य के मध्य कथित असंगति पर दिया गया है।

51. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व चोटें पाई गईं:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



1. गर्दन के आधार के चारों ओर 5 इंच x 4.5 इंच का आर-पार कटा हुआ घाव, उरोस्थि कोण से 1.5 इंच ऊपर। गर्दन एवं सिर अनुपस्थित।
2. दाहिनी ओर पीठ पर दाहिने स्कन्धास्थि के निचले भाग के आसपास 10 x 5 इंच के क्षेत्र में प्रवेश के अनेक बन्दूक के घाव। कालिमा उपस्थित। आकार 1.6 x 1.6 इंच, मांसपेशी तक गहरा।
3. दाहिने कन्धे के ऊपरी भाग पर प्रवेश के दो गोली के घाव, आकार 1.6 x 1.6 इंच x मांसपेशी तक गहरा, कालिमा उपस्थित।
4. गर्दन एवं कन्धे के मध्य दाहिने कन्धे के अग्र भाग के ऊपर 4.5 x 2.5 के क्षेत्र में अनेक कटे हुए घाव, आकार 3.4 x 1.4 इंच x मांसपेशी तक गहरे से लेकर 1.2 x 1.4 x मांसपेशी तक गहरे तक भिन्न-भिन्न।

चिकित्सक के मत में मृत्यु का कारण उपर्युक्त मृत्यु-पूर्व चोटों के परिणामस्वरूप आघात एवं रक्तस्राव था। मृत्यु दिनांक 04.12.1986 को प्रातः 10:30 बजे कारित हो सकती थी तथा चोट संख्या 1 गड़ासे से कारित हो सकती थी तथा चोट संख्या 2 एवं 3 आग्नेयास्त्र से कारित हुई होंगी।

52. विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि चोट संख्या 2 एवं 3 के चारों ओर कालिमा की उपस्थिति निकट सीमा से फायर किए जाने का संकेत देती है। तथापि, पी.डब्ल्यू. -1 किशन पाल ने पेपर बुक के पृष्ठ संख्या 27 पर यह कथन किया बताया जाता है कि अभियुक्तगण ने लगभग 8-10 कदम की दूरी से गोली चलाया तथा पेपर बुक के पृष्ठ 32 पर वह कथन करता है कि अभियुक्तगण द्वारा 20-25 कदम से गोली चलाए गए। पी.डब्ल्यू. -2 ज्ञान सिंह ने पेपर बुक के पृष्ठ 38 पर कथन किया कि आग्नेयास्त्रों से सुसज्जित अभियुक्तगण ने लगभग 20-25 फीट की दूरी से गोली चलाया था। मोदीज़ मेडिकल ज्यूरिस्प्रेडेन्स एण्ड टॉक्सिकोलॉजी (बाईसवाँ संस्करण) के पृष्ठ संख्या 354 पर भी अवलम्ब लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि: "कालिमा तब पाई जाती है, यदि बन्दूक जैसे आग्नेयास्त्र का प्रहार 3 फीट से अधिक की दूरी से न किया गया हो तथा रिवॉल्वर अथवा पिस्तौल का प्रहार लगभग 2 फीट के भीतर से किया गया हो।" उपर्युक्त परिस्थितियों के बल पर विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पी.डब्ल्यू. -1 तथा पी.डब्ल्यू. -2 द्वारा बताई गई

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दूरियाँ कालिमा के चिकित्सीय निष्कर्ष के साथ असंगत हैं तथा इस प्रकार प्रत्यक्षदर्शी कथन की यथार्थता पर गम्भीर सन्देह उत्पन्न करती हैं।

53. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन कथानक के अनुसार एक से अधिक अभियुक्त आग्नेयास्त्रों से सुसज्जित थे तथा फायर करने की भूमिका अनेक अभियुक्तगण को आरोपित की गई है, जबकि चिकित्सीय परीक्षण में केवल उपर्युक्त आग्नेयास्त्र की चोटें ही प्रकट हुईं। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी संख्या 3 राजेन्द्र सिंह द्वारा कथित रूप से किए गए फायर से कोई विशिष्ट आग्नेयास्त्र की चोट विशेष रूप से आरोपित नहीं की गई है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी यह विनिर्दिष्ट नहीं कर सके हैं कि किसके फायर से कौन-सी चोट कारित हुई अथवा किसी विशेष अभियुक्त द्वारा कथित रूप से किया गया फायर मृतक को लगने से चूक गया था। अतः विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन युक्तियुक्त सन्देह से परे यह स्थापित करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी संख्या 3 द्वारा कथित रूप से प्रयुक्त आग्नेयास्त्र से मृतक के शरीर पर पाई गई कोई चोट कारित हुई।

54. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन अपीलार्थी संख्या 3 की ओर से समान आशय का अस्तित्व स्थापित करने में विफल रहा है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी संख्या 3 को कोई पृथक् हेतुक आरोपित न होने की स्थिति में तथा प्रत्यक्षदर्शी एवं चिकित्सीय साक्ष्य में कथित असंगतियों को देखते हुए, अपीलार्थी संख्या 3 की दोषसिद्धि धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता की सहायता से मात्र उसकी कथित उपस्थिति तथा फायर करने के सामान्य अभिकथन के आधार पर पोषणीय नहीं है।

55. चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार मृतक को निकट सीमा से गोली मारी गई थी तथा बचने की कोई सम्भावना नहीं थी, किन्तु मृतक को केवल दो आग्नेयास्त्र की चोटें आईं जबकि कम से कम चार व्यक्तियों ने उस पर फायर किया। यह तथ्य भी प्रत्यक्षदर्शी कथन को अविश्वसनीय बनाता है।

56. यह भी तर्क दिया गया है कि पी.डब्ल्यू. -1 तथा पी.डब्ल्यू. -2 के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति, अर्थात् रामजी लाल तथा रामपाल भी घटनास्थल पर अथवा उसके निकट उपस्थित बताए गए थे, किन्तु अभियोजन द्वारा उनका परीक्षण नहीं कराया गया। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अभियोजन ने केवल मृतक से सम्बन्धित साक्षियों का ही परीक्षण कराया तथा अन्य कथित चक्षुदर्शी साक्षियों को रोके रखने का कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहा।

57. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतक की पत्नी कुमिला का परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उसका साक्ष्य उसके मृतक के साथ भाग जाने तथा धीरज नामक व्यक्ति के साथ उसके अवैध सम्बन्ध के सम्बन्ध में सुसंगत हो सकता था। यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन ने दोनों पक्षों द्वारा सुझाए गए हेतुक से सम्बन्धित विवाद को स्पष्ट करने हेतु उसका परीक्षण नहीं कराया।

58. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि घटना में आठ व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया तथा उन्हें विशिष्ट आयुध आरोपित किए गए। तीन अभियुक्तगण बन्दूकों से, एक तमंचे से, एक गड़ासे से तथा शेष अभियुक्त लाठियों से सुसज्जित बताए गए। तथापि, बचाव पक्ष के अनुसार, विवेचनाधिकारी ने अपराध कारित करने में कथित रूप से प्रयुक्त कोई बन्दूक, तमंचा अथवा लाठी बरामद नहीं की। इस प्रकार यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कथित आयुधों की बरामदगी का अभाव एक अतिरिक्त परिस्थिति है, जिसे बचाव पक्ष द्वारा इंगित अन्य विसंगतियों के साथ विचार किए जाने पर अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न होता है।

59. विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए गए सह-अभियुक्तगण के साथ समता की भी माँग की है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्षियों ने अभियुक्तगण के विरुद्ध सारतः समान अभिकथन किए, फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त राजवीर, करन पाल, कुँवर पाल तथा रुरी सिंह को दोषमुक्त कर दिया, जबकि राजेन्द्र सिंह, धर्मवीर सिंह तथा रघुराज सिंह को दोषसिद्ध किया। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि सामान्य चक्षुदर्शी कथन की विश्वसनीयता के सम्बन्ध में अपीलार्थी संख्या 3 तथा दोषमुक्त किए गए अभियुक्तगण के मध्य कोई विधितः पोषणीय विभेद नहीं किया गया है।

60. विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन के हेतुक को दूरस्थता के आधार पर भी चुनौती दी है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतक नेत्रपाल तथा कुमिला के मध्य कथित भगोड़ापन एवं सम्बन्ध घटना से लगभग दस वर्ष पूर्व घटित हुआ था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह स्वाभाविक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रूप से असम्भाव्य है कि कुमिला के परिवारजन लगभग एक दशक तक ऐसा तीव्र आक्रोश बनाए रखते ताकि इतने लम्बे अन्तराल के पश्चात् नेत्रपाल की हत्या कारित करें।

61. अपीलार्थी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने **योगरानी बनाम राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2609** पर अवलम्ब लिया है। उसका प्रस्तर 10 नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

"10. न्यायालय एक अभियुक्त को दोषसिद्ध तथा दूसरे को दोषमुक्त नहीं कर सकता जब दो अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध समरूप अथवा एकसमान साक्ष्य हो। जावेद शौकत अली कुरैशी बनाम गुजरात राज्य, 2023 आई.एन.एस.सी. 829 के प्रकरण में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:

"15. जब दो अभियुक्तों के विरुद्ध चक्षुदर्शी साक्षियों का समरूप अथवा एकसमान साक्ष्य हो तथा उन्हें समान अथवा समरूप भूमिका आरोपित की गई हो, तो न्यायालय एक अभियुक्त को दोषसिद्ध तथा दूसरे को दोषमुक्त नहीं कर सकता। ऐसे प्रकरण में दोनों अभियुक्तों के प्रकरण समता के सिद्धान्त द्वारा शासित होंगे। इस सिद्धान्त का आशय यह है कि आपराधिक न्यायालय को समान प्रकरणों का निर्णय समान रूप से करना चाहिए तथा ऐसे प्रकरणों में न्यायालय दोनों अभियुक्तों के मध्य कोई विभेद नहीं कर सकता, जो विभेदकारी होगा।"

प्रस्तुत प्रकरण में, अपीलार्थी के विरुद्ध अभिकथन वही होने के कारण जो अभियुक्त संख्या 3 एवं 4 के विरुद्ध किए गए थे, अधीनस्थ न्यायालय अन्य दोनों को दोषमुक्त करते हुए अपीलार्थी को दोषसिद्ध नहीं कर सकते थे।"

62. **राम सिंह बनाम उ.प्र. राज्य, (2024) 4 एस.सी.सी. 208** के प्रस्तर 35, 36, 37 पर भी अवलम्ब लिया गया है। वही नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"35. उपर्युक्त प्रतिपादना को प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों पर लागू करते हुए हम पाते हैं कि चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गम्भीर कमियों से ग्रस्त है। अतः उनका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त, तात्त्विक साक्षियों का परीक्षण नहीं कराया गया है। कुल मिलाकर, अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इतना अभेद्य नहीं कहा जा सकता कि अपराध के आयुध की बरामदगी न होना, बैलिस्टिक मत प्राप्त न किया जाना तथा बैलिस्टिक विशेषज्ञ का परीक्षण न कराया जाना महत्वहीन हो जाए।

36. ऐसी परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप को समस्त युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित कर सका। वस्तुतः, उसी साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय ने अन्य अभियुक्त लाला राम को मुख्यतः इस आधार पर सन्देह का लाभ प्रदान किया कि अभियुक्त तथा पी.डब्ल्यू. -1 के मध्य दुर्भावना थी।

37. इस न्यायालय ने जावेद शौकत अली कुरैशी बनाम गुजरात राज्य, (2023) 9 एस.सी.सी. 164 में अभिनिर्धारित किया है कि जब दो अभियुक्तों के विरुद्ध चक्षुदर्शी साक्षियों का समरूप अथवा एकसमान साक्ष्य हो तथा उन्हें समान अथवा समरूप भूमिका आरोपित की गई हो, तो न्यायालय एक अभियुक्त को दोषसिद्ध तथा दूसरे को दोषमुक्त नहीं कर सकता। इस न्यायालय ने निम्नानुसार स्पष्ट किया:

"15. जब दो अभियुक्तों के विरुद्ध चक्षुदर्शी साक्षियों का समरूप अथवा एकसमान साक्ष्य हो तथा उन्हें समान अथवा समरूप भूमिका आरोपित की गई हो, तो न्यायालय एक अभियुक्त को दोषसिद्ध तथा दूसरे को दोषमुक्त नहीं कर सकता। ऐसे प्रकरण में दोनों अभियुक्तों के प्रकरण समता के सिद्धान्त द्वारा शासित होंगे। इस सिद्धान्त का आशय यह है कि आपराधिक न्यायालय को समान प्रकरणों का निर्णय समान रूप से करना चाहिए तथा ऐसे प्रकरणों में न्यायालय दोनों अभियुक्तों के मध्य कोई विभेद नहीं कर सकता, जो विभेदकारी होगा।"



63. विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **कृष्णेगौड़ा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य द्वारा अर्कलगुड पुलिस, (2017) 13 एस.सी.सी. 98** के प्रस्तर 42 पर अवलम्ब लिया है। वही नीचे पुनरुत्पादित किया जा रहा है:

"42. एक बार जब चिकित्सीय एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के मध्य स्पष्ट विरोधाभास हो तथा उसके साथ मौखिक साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास एवं विवेचना में स्पष्ट त्रुटियाँ हों, तो सन्देह का लाभ अभियुक्त को जाना चाहिए।"

64. विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **पंकज बनाम राजस्थान राज्य, आपराधिक अपील संख्या 2135 वर्ष 2009** के प्रस्तर 13 पर भी अवलम्ब लिया है। वही नीचे पुनरुत्पादित किया जा रहा है:

"13. यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब घटना की उत्पत्ति एवं रीति सन्देहास्पद हो, तो अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। चूँकि अभियोजन उन परिस्थितियों को स्थापित करने में विफल रहा है जिनमें अपीलार्थी द्वारा मृतक पर फायर किया जाना अभिकथित है, अतः सम्पूर्ण कथानक अस्वीकार किए जाने योग्य है। जब अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में न तो गुणवत्ता है और न विश्वसनीयता, तो ऐसे साक्ष्य पर दोषसिद्धि आधारित करना असुरक्षित होगा। विषय पर विचारपूर्वक विचार करने के पश्चात् हम पाते हैं कि प्रकरण में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अपीलार्थी का दोष प्रमाणित करने हेतु पर्याप्त नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अपीलार्थी सन्देह के लाभ का हकदार है।"

65. विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **कपिल देव मण्डल बनाम बिहार राज्य, (2008) 16 एस.सी.सी. 99** के प्रस्तर 14 पर भी अवलम्ब लिया है। वही नीचे पुनरुत्पादित किया जा रहा है:

"14. अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि परिवादी पक्ष तथा अभियुक्तगण के मध्य वैमनस्य था। पक्षकारों के मध्य वाद-विवाद था तथा उनके सम्बन्ध अच्छे नहीं थे। साक्षी महेश मण्डल (पी.डब्ल्यू. -5), ब्रह्मदेव मण्डल (पी.डब्ल्यू. -6), बिमला देवी (पी.डब्ल्यू. -7) (सूचनाकर्ता की पत्नी) तथा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सूचनाकर्ता रामानन्द मण्डल (पी.डब्ल्यू. -9) मृतक से निकट रूप से सम्बन्धित हैं। साथ ही, उस घर में, जहाँ रात्रि 11 बजे घटना घटित हुई, उनकी उपस्थिति पर सन्देह नहीं किया जा सकता। अभियोजन द्वारा परीक्षित अन्य साक्षी घटना घटित हो जाने के पश्चात् घटनास्थल पर पहुँचे थे तथा वे घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं थे। अब यह इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला से सुस्थापित है कि मृतक से सम्बन्धित, अभियुक्त पक्ष के साथ तनावपूर्ण सम्बन्ध रखने वाले साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय उनके साक्ष्य को मात्र इसी आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किन्तु न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह उसकी सावधानीपूर्वक संवीक्षा करे तथा यह पता लगाए कि क्या ऐसा दृष्टिकोण अपनाने की गुंजाइश है जिससे न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँच सके कि यह झूठे फँसाए जाने का प्रकरण है।"

राज्य की ओर से प्रस्तुत तर्क

66. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि पी.डब्ल्यू. -1 तथा पी.डब्ल्यू. -2 प्रकरण के चक्षुदर्शी साक्षी हैं। जहाँ तक ए-1 एवं ए-3 की ओर से अन्य चक्षुदर्शी साक्षियों को प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत तर्क का प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 साक्ष्य की गुणात्मकता की अपेक्षा करती है, न कि संख्यात्मकता की।

67. जहाँ तक स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षियों को प्रस्तुत न किए जाने का प्रश्न है, यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति किसी जघन्य अपराध से सम्बन्धित आपराधिक कार्यवाही का भाग बनना नहीं चाहता जब तक कि वह मृतक से सम्बन्धित न हो अथवा किसी अन्य प्रकार से विषय में हितबद्ध न हो। अतः हत्या के अपराध के आरोपित अभियुक्त का दोष प्रमाणित करने हेतु स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत करना अत्यन्त कठिन है। आपराधिक विचारणों में स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत करना लोक-उदासीनता, प्रतिशोध के भय तथा सामाजिक शत्रुता के कारण कठिन है। फलस्वरूप, अभियोजन को प्रायः उन साक्षियों पर अवलम्ब लेना पड़ता है जो न्यायालय के समक्ष आकर साक्ष्य देने को तत्पर हों।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



68. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **अप्पाभाई एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य, 1988 एस.सी.सी. (क्रि.) 559** के प्रस्तर 11 पर अवलम्ब लिया है। उसका प्रस्तर 11 नीचे पुनरुत्पादित किया जा रहा है:

"11. इन सिद्धान्तों के प्रकाश में अब हम अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम तर्क पर विचार कर सकते हैं। यह तर्क अभियोजन द्वारा स्वतंत्र साक्षियों का परीक्षण न कराने से सम्बन्धित है। उच्च न्यायालय ने इस तर्क का परीक्षण किया किन्तु विवेचना में कोई दोष नहीं पाया। यह निःसन्देह सत्य है कि अभियोजन बस अड़्डे पर घटित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं कर सका। ऐसे अनेक साक्षी अवश्य रहे होंगे। किन्तु अभियोजन कथानक को मात्र उसी आधार पर अस्वीकार अथवा सन्देहास्पद नहीं किया जा सकता। अनुभव हमें स्मरण कराता है कि सभ्य लोग सामान्यतः तब भी असंवेदनशील रहते हैं जब उनकी उपस्थिति में ही अपराध कारित किया जाता है। वे पीड़ित एवं सतर्क प्रहरी दोनों से दूर हट जाते हैं। वे स्वयं को न्यायालय से दूर रखते हैं जब तक कि यह अपरिहार्य न हो। वे यह सोचते हैं कि अपराध, सिविल विवाद की भाँति, दो व्यक्तियों अथवा पक्षकारों के मध्य का विषय है तथा उन्हें स्वयं को उसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए। साधारण जनता की इस प्रकार की उदासीनता वस्तुतः दुर्भाग्यपूर्ण है, किन्तु वह सर्वत्र विद्यमान है, चाहे ग्रामीण जीवन में हो, कस्बों में अथवा नगरों में। इस बाधा की उपेक्षा नहीं की जा सकती जिसके साथ विवेचक अभिकरण को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। अतः न्यायालय को स्वतंत्र साक्षी के अभाव में अभियोजन कथानक पर सन्देह करने के बजाय अभियोजन कथन के व्यापक परिप्रेक्ष्य पर विचार करना चाहिए तथा तत्पश्चात् अभियुक्त द्वारा सुझाई गई सम्भाव्यता, यदि कोई हो, का सम्यक् ध्यान रखते हुए सत्य के कण की खोज करनी चाहिए। तथापि, न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि गम्भीर अपराध के साक्षी सामान्य रीति से प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। न ही वे एकसमान प्रतिक्रिया करते हैं। किसी नृशंस अपराध अथवा जघन्य प्रकृति के कृत्य पर भयभीत साक्षी भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया कर सकते हैं। उनके

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आचरण का क्रम सामान्य परिस्थितियों में साधारण प्रकार का नहीं हो सकता।

अतः न्यायालय उनके साक्ष्य को मात्र इसलिए अस्वीकार नहीं कर सकता कि उन्होंने असामान्य रीति से आचरण अथवा प्रतिक्रिया की है। राणा प्रताप बनाम हरियाणा राज्य में न्यायमूर्ति चिन्नाप्पा रेड्डी ने इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए संक्षेप में यह प्रतिपादित किया कि एक ही घटना को देखने वाले भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का आचरण कैसा हो सकता है। विद्वान न्यायाधीश ने अवलोकन किया:

"प्रत्येक व्यक्ति जो हत्या देखता है, अपनी ही रीति से प्रतिक्रिया करता है। कुछ स्तब्ध रह जाते हैं, वाणीहीन हो जाते हैं तथा स्थान पर जड़वत् खड़े रह जाते हैं। कुछ उन्मादग्रस्त हो जाते हैं तथा विलाप करने लगते हैं। कुछ सहायता हेतु चिल्लाने लगते हैं। अन्य स्वयं को स्थान से यथासम्भव दूर रखने हेतु भाग जाते हैं। फिर भी अन्य पीड़ित की रक्षा हेतु दौड़ पड़ते हैं, यहाँ तक कि हमलावरों पर प्रत्याक्रमण करने की सीमा तक चले जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशेष रीति से प्रतिक्रिया करता है। स्वाभाविक प्रतिक्रिया का कोई निश्चित नियम नहीं है। किसी साक्षी के साक्ष्य को इस आधार पर अस्वीकार करना कि उसने किसी विशेष रीति से प्रतिक्रिया नहीं की, साक्ष्य का पूर्णतः अवास्तविक एवं अकल्पनाशील रीति से मूल्यांकन करना है।"

69. तदनुसार, यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यदि अभियोजन ने अन्यथा विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के आधार पर अपना प्रकरण सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है, तो मात्र यह तथ्य कि साक्षी हितबद्ध साक्षी हैं अथवा स्वतंत्र साक्षियों को कठघरे में नहीं लाया जा सका, अभियोजन कथानक के लिए घातक नहीं होगा।

70. जहाँ तक ए-1 एवं ए-3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अपीलार्थीगण तथा अभियोजन पक्ष के मध्य पूर्व रंजिश सम्बन्धी तर्क का प्रश्न है, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन कथानक के अनुसार ऐसी रंजिश कुमिला के भाग जाने के कारण उत्पन्न हुई, जो कुछ अभियुक्तों की बहन तथा अन्य अभियुक्तगण की भतीजी थी। दूसरी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ओर, बचाव पक्ष द्वारा प्रकट की गई रंजिश, जो दोनों परिवारों के मध्य विवाद से उद्भूत है, वर्ष 1969 से सम्बन्धित है।

71. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि चूँकि मृतक घटना से लगभग दस वर्ष पूर्व ए-1 की बहन के साथ भाग गया था, अतः दस वर्ष के अन्तराल से उनका क्रोध शान्त हो चुका होगा तथा इसलिए उनके पास अपराध कारित करने का कोई कारण अथवा हेतुक नहीं था। दूसरी ओर, वही बचाव पक्ष यह दावा करता है कि वर्ष 1969 की घटना से उद्भूत रंजिश के कारण अपीलार्थीगण को झूठा फँसाया गया।

72. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन का विशिष्ट कथन यह है कि ए-1 की बहन के साथ भाग जाने के पश्चात् मृतक उनके गाँव से दूर किसी अन्य स्थान पर निवास करने लगा, जिसका प्रभाव यह हुआ कि उनका क्रोध शान्त हो गया। तथापि, लगभग आठ वर्ष के अन्तराल के पश्चात् जब वह उसी गाँव लौट आया तथा वहाँ निवास करने लगा, तो अभियुक्त-अपीलार्थीगण पुनः क्षुब्ध हो उठे।

73. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि समाज में यह सामान्य है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रतिष्ठित परिवार की महिला के साथ भाग जाता है, तो ऐसी महिला के परिवारजन अपनी "मिथ्या प्रतिष्ठा" की रक्षा हेतु बदला लेने की इच्छा रख सकते हैं। ऐसी "मिथ्या प्रतिष्ठा" पुनः तब उभर सकती है जब वह व्यक्ति जो महिला के साथ भागा था, उसके परिवारजनों के समक्ष आ जाए। इस प्रकार, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, अपीलार्थीगण पुनः क्रोधित हो उठे तथा बदला लेने के अपने आशय के अग्रसरण में उन्होंने उपर्युक्त जघन्य अपराध कारित किया। अतः इस सम्बन्ध में ए-1 एवं ए-3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क पोषणीय नहीं हैं।

74. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि जहाँ तक प्रत्यक्षदर्शी एवं चिकित्सीय साक्ष्य के मध्य कथित विरोधाभास का प्रश्न है, यदि चिकित्सीय साक्ष्य के प्रकाश में प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य में कोई विसंगति प्रतिबिम्बित होती है, तो प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पर अभिभावी होगा। अतः, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, इस सम्बन्ध में अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत तर्क भी पोषणीय नहीं है।

विश्लेषण एवं कारण

75. प्रतिपक्षीय तर्कों को सुनने तथा अभिलेख के परिशीलन के पश्चात् हम सुविचारित मत के हैं कि शत्रुता एक दुधारी तलवार है। जहाँ एक ओर यह अपराध कारित किए जाने का हेतुक प्रदान कर सकती है, वहीं दूसरी ओर ऐसी शत्रुता के कारण झूठे फँसाए जाने की सम्भावना को भी पूर्णतः अपवर्जित नहीं किया जा सकता।

76. तथापि, जहाँ तक एक तीसरे व्यक्ति, अर्थात् धीरज के प्रवेश का प्रश्न है, पी.डब्ल्यू. -1 की प्रतिपरीक्षा में जो परिस्थितियाँ उभरकर आई हैं, वे अभियोजन द्वारा अस्पष्टीकृत रह जाती हैं। यह परिस्थिति यह सन्देह अवश्य उत्पन्न करती है कि क्या धीरज के पास, बच्चों की अभिरक्षा के सम्बन्ध में मृतक के साथ कथित विवाद के कारण, अपराध कारित करने का हेतुक हो सकता था। फिर भी, जहाँ घटना का प्रत्यक्ष चक्षुदर्शी साक्ष्य उपलब्ध हो तथा अन्यथा विश्वसनीय एवं भरोसेमन्द पाया जाए, वहाँ मात्र ऐसी वैकल्पिक सम्भावना का अस्तित्व स्वतः अभियोजन कथानक को अस्वीकार करने हेतु पर्याप्त नहीं होगा। अतः जो महत्वपूर्ण हो जाता है वह पी.डब्ल्यू. -1 तथा पी.डब्ल्यू. -2 के प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की अन्तर्निहित विश्वसनीयता एवं भरोसेमन्दता है।

77. जब पी.डब्ल्यू. -1 तथा पी.डब्ल्यू. -2 के प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य के साथ तुलनात्मक परीक्षण किया जाता है, तो एक तात्त्विक विसंगति स्पष्ट हो जाती है। एक ओर, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने आग्नेयास्त्रों से सुसज्जित अनेक व्यक्तियों द्वारा फायर किए जाने का आरोपण किया है; दूसरी ओर, जिस चिकित्सक ने पोस्टमार्टम परीक्षण किया, उसने मृतक के शरीर पर आग्नेयास्त्र के प्रवेश के केवल दो समूह के घाव पाए। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आग्नेयास्त्र के प्रवेश घावों के चारों ओर कालिमा उपस्थित पाई गई, जो निकट सीमा से फायर किए जाने का संकेत देती है।

78. बचाव पक्ष ने मोदीज़ मेडिकल ज्यूरिस्पूडेन्स एण्ड टॉक्सिकोलॉजी पर यह तर्क देने हेतु अवलम्ब लिया है कि जहाँ बन्दूक जैसे आग्नेयास्त्र का प्रहार किया जाता है, वहाँ कालिमा सामान्यतः तब पाई जाती है जब फायर लगभग तीन फीट से अधिक की दूरी से न किया गया हो, जबकि रिवॉल्वर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अथवा पिस्तौल के प्रकरण में ऐसी कालिमा तब पाई जा सकती है जब लगभग दो फीट के भीतर से फायर किया गया हो। तथापि, दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों में से किसी ने भी यह कथन नहीं किया है कि फायर इतनी निकट दूरी से किया गया था। पी.डब्ल्यू. -1 ने एक स्थान पर फायर की दूरी लगभग 8-10 कदम तथा अन्यत्र लगभग 20-25 कदम बताई है, जबकि पी.डब्ल्यू. -2 ने कथन किया है कि फायर लगभग 20-25 फीट की दूरी से किया गया था।

79. इस प्रकार, आग्नेयास्त्र के प्रवेश घावों के चारों ओर कालिमा की उपस्थिति उस दूरी के साथ संगत प्रतीत नहीं होती जिससे पी.डब्ल्यू. -1 तथा पी.डब्ल्यू. -2 फायर किए जाने का दावा करते हैं। उपर्युक्त विसंगति को, प्रस्तुत प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों में, ऐसी गौण अथवा नगण्य भिन्नता नहीं माना जा सकता जिसकी उपेक्षा की जा सके। बल्कि, यह उस रीति से सम्बन्धित है जिससे घटना घटित होना अभिकथित है तथा पी.डब्ल्यू. -1 एवं पी.डब्ल्यू. -2 द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्षदर्शी विवरण की यथार्थता के सम्बन्ध में युक्तियुक्त सन्देह उत्पन्न करती है।

80. उपर्युक्त विवेचन को देखते हुए हम पाते हैं कि घटना के चक्षुदर्शी साक्षियों के रूप में पी.डब्ल्यू. -1 तथा पी.डब्ल्यू. -2 की उपस्थिति सन्देहास्पद हो जाती है। एक बार जब घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति सन्देहास्पद हो जाती है तथा उनका प्रत्यक्षदर्शी विवरण चिकित्सीय साक्ष्य की कसौटी पर विश्वास उत्पन्न नहीं करता, तो मात्र उनके साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि को कायम रखना सुरक्षित नहीं होगा।

81. विषय का एक अन्य पहलू भी है जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है। अभियोजन कथानक में अनेक अभियुक्तगण नामित किए गए तथा उन्हें विशिष्ट आयुध आरोपित किए गए। अभियोजन ने कुछ अभियुक्तगण को आग्नेयास्त्र आरोपित किए, जबकि अभियुक्त जगपाल कथित रूप से गड़ासे से सुसज्जित था तथा उसे मृतक का सिर काटने की विशिष्ट भूमिका सौंपी गई। अभियोजन ने आगे अभियुक्तगण को घटना के पश्चात् मृतक का कटा हुआ सिर ले जाने की सामान्य भूमिका आरोपित की।

82. तथापि, उसी साक्ष्य के मूल्यांकन पर विद्वान विचारण न्यायालय ने चार अभियुक्तगण को दोषमुक्त कर दिया, जबकि केवल धर्मवीर सिंह, रघुराज सिंह तथा राजेन्द्र सिंह को दोषसिद्ध किया। जहाँ अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य तात्त्विक रूप से समरूप हो तथा उन्हें आरोपित भूमिका

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



समान अथवा सारतः समरूप हो, वहाँ न्यायालय, किसी विभेदकारी विशेषता के अभाव में, कुछ अभियुक्तगण को दोषसिद्ध तथा अन्य को दोषमुक्त नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **जावेद शौकत अली कुरैशी (उपरोक्त)** में प्रतिपादित सिद्धान्त महत्वपूर्ण हो जाता है।

83. प्रस्तुत प्रकरण में, एक बार जब उपर्युक्त अभिलिखित कारणों से प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य ही सन्देहास्पद पाया गया है तथा अपीलार्थीगण के विरुद्ध अभियोजन साक्ष्य उपर्युक्त तात्त्विक दोषों से ग्रस्त है, तो अपीलार्थीगण सन्देह के लाभ के हकदार हैं।

84. पूर्वोक्त विवेचन को देखते हुए तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर समग्रता में विचार करते हुए हम सुविचारित मत के हैं कि अभियोजन अपीलार्थी संख्या 1 धर्मवीर सिंह तथा अपीलार्थी संख्या 3 राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध प्रकरण को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा है। फलस्वरूप, दोषसिद्धि का निर्णय एवं दण्डादेश, जहाँ तक वे अपीलार्थी संख्या 1 एवं 3 से सम्बन्धित हैं, कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं तथा अपास्त किए जाने योग्य हैं।

85. तदनुसार, आपराधिक अपील **स्वीकार** की जाती है। विद्वान विशेष न्यायाधीश, बुलन्दशहर द्वारा सत्र विचारण संख्या 533 वर्ष 1987 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 09.08.1990, जहाँ तक वह अपीलार्थी संख्या 1 धर्मवीर सिंह तथा अपीलार्थी संख्या 3 राजेन्द्र सिंह से सम्बन्धित है, एतद्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी संख्या 1 धर्मवीर सिंह तथा अपीलार्थी संख्या 3 राजेन्द्र सिंह को धारा 302 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

86. चूँकि अपीलार्थी संख्या 1 धर्मवीर सिंह तथा अपीलार्थी संख्या 3 राजेन्द्र सिंह पहले से ही जमानत पर हैं, अतः उनके जमानत बन्धपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके सम्बन्धित दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

87. तथापि, धारा 437-ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुपालन में, अपीलार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे इस निर्णय की तिथि से दो सप्ताह के भीतर सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये की धनराशि का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत करें।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



88. विचारण न्यायालय का अभिलेख इस निर्णय की प्रति सहित आवश्यक अनुपालन हेतु तत्काल विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जाए।

89. यह न्यायालय इस न्यायालय से सम्बद्ध शोध सहयोगी सुश्री गार्गी मिश्रा द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता के प्रति अपनी सराहना अभिलिखित करना समुचित समझता है। उन्होंने इस आपराधिक अपील में अन्तर्ग्रस्त तथ्यात्मक एवं विधिक दोनों प्रश्नों पर व्यापक शोध किया है तथा विपुल अभिलेख के परीक्षण में एवं विचारार्थ उत्पन्न प्रश्नों पर लागू विधि-निर्णयों को खोजने में बहुमूल्य सहायता प्रदान किया है।

(न्यायमूर्ति लक्ष्मी कान्त शुक्ला) (न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह)

13 अगस्त, 2026

आरती

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”